



डॉ. अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

योजना के बारे में

इस योजना का उद्देश्य भारत के प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में डॉ. अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र (डीएसीई) की स्थापना करना है। इस योजना के माध्यम से, केंद्र अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में श्रेष्ठ तथा मुफ्त कोचिंग सुविधाएं प्रदान करके सशक्त बनाना है।

योग्यता : स्नातक

आयु : अधिकतम 34 वर्ष

विद्यार्थियों के लिए पात्रता मानदंड और निःशुल्क कोचिंग के लिए चयन प्रक्रिया:

1. वांछित परीक्षाओं में प्रवेश पात्रता के लिए, उम्मीदवारों को अर्हक परीक्षा में आवश्यक न्यूनतम प्रतिशत अंक आवश्यक है।
2. यह योजना केवल अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए है। विश्वविद्यालय संबंधित विद्यार्थियों से अपेक्षित है कि वे सत्यापित जाति प्रमाण पत्र अपने संबंधित राज्य/संघ क्षेत्रों के सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
3. इस योजना के अंतर्गत कोचिंग का लाभ केवल पंजीकृत विद्यार्थी द्वारा किया जा सकता है, भले ही वह किसी विशेष प्रतियोगी परीक्षा में कितने भी मौके का हकदार हो। विद्यार्थी को विश्वविद्यालय को एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा जिसमें उल्लेख हो कि उसे भारत सरकार, राज्य / केंद्रशासित प्रदेश या किसी फंडिंग एजेंसी द्वारा किसी अन्य योजना से कोई आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है।
4. इस योजना के अंतर्गत नामांकित उम्मीदवारों को सभी कक्षाओं में उपस्थित होना होगा। बिना किसी वैध कारण के 15 दिनों से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने या सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना कोचिंग को बीच में छोड़ने की स्थिति में, उम्मीदवार पर किए गए कुल व्यय की वसूली उम्मीदवार से की जाएगी।
5. कोचिंग के लिए कुल सौ 100 सीटें स्वीकृत हैं। कोचिंग के लिए कुल स्वीकृत सीटों का 33 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग की महिला उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। यदि पर्याप्त संख्या में पात्र महिला उम्मीदवार आवेदन नहीं करती हैं, तो विश्वविद्यालय रिक्त सीटों को पुरुष / ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों (केवल अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों) को आवंटित कर सकता है।
6. विश्वविद्यालय विज्ञापन के माध्यम से योजना का प्रचार करेगा और सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए सार्वजनिक सूचना देगा। विद्यार्थियों का चयन योग्यता के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा (यदि आवश्यक हो तो) के माध्यम से किया जाएगा।

सामान्य निर्देश:

1. डीएसीई योजना के अंतर्गत कोचिंग में प्रवेश के लिए आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को आवश्यक पात्रता मानदंड के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए।
2. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों के पास एक वैध ई-मेल पता और पहचान प्रमाण होना चाहिए।
3. प्रवेश के समय उम्मीदवार को अपनी आयु, योग्यता और जाति से संबंधित सभी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। यदि उम्मीदवार सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज जमा करने में विफल रहता है तो उसकी उम्मीदवारी को इस संबंध में बिना किसी सूचना के रद्द माना जाएगा।
4. विश्वविद्यालय केवल महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में परीक्षा केंद्र आवंटित करेगा।
5. विश्वविद्यालय के पास चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी नियम और शर्तों/दिशानिर्देशों में संशोधन/परिवर्तन/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
6. महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को छात्रावास की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
7. पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष के लिए होगी।
8. इस परीक्षा के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है।
9. चयनित छात्र पाठ्यक्रम की अवधि तक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की इंटरनेट और पुस्तकालय सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।
10. इस योजना के अंतर्गत मुफ्त कोचिंग में प्रवेश लेने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन करना होगा, आवेदन का कोई अन्य तरीका स्वीकार्य नहीं होगा।
11. आवेदन की अंतिम तिथि के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
12. इस संबंध में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा उम्मीदवारों द्वारा किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
13. आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जून 2022 है।
14. कोचिंग हेतु आवेदक <https://forms.gle/4Q8VGA4Xxuk1C5Xw6> लिंक द्वारा आवेदन कर सकते हैं।
15. आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय को तब तक न भेजें जब तक कि इसके लिए न कहा जाए।
16. आवेदन करने में यदि कोई असुविधा हो तो dace.mgahv@hindivishwa.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं।

समन्वयक

डीएसीई